राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांकः एफ(1)/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/आ.अन्वे./2019 दिनांकः 03-02-2020

:: **आदेश** ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14 (32) (3) RSMSSB/अर्थना/उ.वि/आ.अन्वे./पात्रता/2019/1469 दिनांक 10.12.2019 द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में आर्थिक अन्वेषक के पद के लिए पात्र पाये गये एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अभिशंषा/अभिस्तावना के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थी को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आर्थिक अन्वेषक के रिक्त पद के प्रति उपस्थिति देने की संगत तिथी से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथी पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथी से प्रभावी होगी :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नम्बर	मेरिट/ श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह गांव पोस्ट–उरीका,तहसील–सूरजगढ, जिला–झुन्झुनू (राज.) 333033	05.07.86	402550	261 (OBC, EX)	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर

नियुक्ति की शर्ते :–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 में वर्णित अनुसूची–IV के अनुसार नियत पारिश्रमिक रू. 23700/–प्रतिमाह देय होगा। परिवीक्षा–प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज.राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वह ही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
4. यह नियुक्ति अस्थाई है। अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगा तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है।
5. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के आर्थिक अन्वेषक होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

8. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग, राज.जयपुर के परिपत्र कमांक प.8(1) कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ13(1)एफडी/रूल्स/ 03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके चरित्र आदि संतोषजनक होने के अध्यधीन रहेगी।
10. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो इन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी को अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/ संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.13 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी।
13. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सप्ताह में कार्यग्रहण नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करते है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

कमांकः एफ(1)/1(67) आ.उ./पीएडी.अनु./नियुक्ति/आ.अन्वे./2019 दिनांकः 03-02-2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (कार्यालयाध्यक्ष)
5. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करेंगे तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता एवं संतान संबंधी सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्यग्रहण करने की सूचना मुख्यालय को आवश्यक रूप से लौटती डाक से भिजवायेंगे।
7. संबंधित अभ्यर्थी श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव पोस्ट–उरीका, तहसील–सूरजगढ, जिला– झुन्झुनू (राज.) 333033 **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
8. रक्षित पत्रावली।

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक,उद्योग
(प्रशासन)